(b) there are divergent views of Cement industry and Jute Sector regarding Comparative suitability of HDPE/PP bags & jute bags for packing of Cement. While Cement Industry have claimed that HDPE/PP bags are more suitable because these are technically superior, cheaper than jute bags and enjoy large scale consumer preference, on the countrary jute sector has claimed that jute packaging is equally good for packing of these commodities if proper varieties of jute bags covered by ISI specifications are used.

(c) to (e) State Government of Gujarat have urged upon the Central Government to exempt Cement, fertilizers (Urea) and other industries from the purview of the reservation in jute packaging. The Standing Advisory Committee constituted under the Jute Packaging Materials (Compulsory Use in Packing Commodities) Act, 1987 have recently considered in detail the various pros & cons of the evidence and views expressed by different organisations and representation of various Ministries/Deptts. in its meetings held on 30.4.98, 15.5.98 and 2.6.98 and have submitted its recommendations to the Government.

Closing of 43 Jute Purchase Centres

3197. SHRI NILOTPAL BASU:
SHRI DIPANKAR MUKHERJEE:

Will the Minister of TEXTILES be pleased to state:

(a) whether the Jute Corporation of India has decided to close down 43 Jute Purchase Centres;

(b) if so, the reasons therefor; and

(c) if not, the action plan of JCI to mobilise the Purchase Centres to take care of jute growers' interest?

THE MINISTER OF TEXTILES (SHRI KASHIRAM RANA): (a) and (b) Yes Sir, the Government have recently decided to close down 43 uneconomic Departmental Purchase Centres of JCI after an analysis done of the procurement made by all the Purchase Centres of JCI for over a decade where it was seen that the procurement by 43 Centres have remained consistently well below the desired level both under Price Support Operation & Commercial Operations.

(c) Does not arise.

आदिवासी और पिछड़े क्षेत्रों में आधुनिक बुनाई और प्रसंस्करण यूनिटों में निवेश करना

3198. **श्री चिमनभाई हरीभाई शुक्ला:** क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उन्होंने वस्त्र उद्योगों को जनजातीय और पिछड़े क्षेत्रों में आधुनिक बुनाई और प्रसंस्करण यूनिटों में और अधिक निवेश करने के लिए और इस संबंध में एक प्रभावी नीति बनाने का सुझाव दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार जनजातीय क्षेत्रों में बुनाई और प्रसंस्करण यूनिटों में और अधिक निवेश करने के लिए सहमत हुई है;

(ग) यदि हां, तो क्या उड़ीसा, गुजरात और मध्य प्रदेश के संबंध में कोई योजना बनाई गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्री (श्री काशीराम राणा): (क) से (घ) हथकरघा योजनाएं राज्य विशेष के लिए नहीं हैं। सभी राज्य और केन्द्र शासित प्रदेश विकासात्मक योजनाओं जैसे परियोजना पैकेज योजना अनुसंधान तथा विकास योजनाएं, निर्यात विकास योजना, आदि के अंतर्गत योजनाओं की मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार विभिन्न चल रही योजनाओं के अंतर्गत सहायता प्राप्त करने के पात्र हैं। कपड़े की बुनाई में बुनकरों की कुशलता का उन्नयन तथा प्रसंस्करण सुविधाओं के लिए कार्यान्वयन एजेंसी को सहायता प्रदान की जाती है। इसके अतिरिक्त देश भर में इन क्षेत्रों में हथकरघा बुनकरों को आवश्यक सहायता प्रदान करने के लिए 24 बुनकर सेवा केन्द्र स्थापित किये गये हैं। जहां तक, उड़ीसा, गुजरात और मध्य प्रदेश की राज्य सरकारों को सहायता प्रदान किये जाने का संबंध है, विभिन्न चल रही योजनाओं के अंतर्गत 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान उड़ीसा को 6594.62 लाख रुपए, गुजरात को 1252.42 लाख रुपए तथा मध्य प्रदेश को 286561 लाख रुपए जारी किये गये हैं।